आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः एफ.7(4) प्रवेश/आकाशि/अकाद/2019/913-16 दिनांकः 19 मार्च, 2020

प्राचार्य,
समस्त राजकीय महाविद्यालय,
राजस्थान।

विषय :– मेज नदी दुखांतिका के पीडित परिवार के बच्चों की शिक्षा के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत दिनांक 26.02.2020 को बूंदी जिले में घटित घटना (मेज नदी दुखांतिका) के सम्बन्ध में राज्य सरकार के निर्णय अनुसार पीडित परिवारों के पढने वाले बच्चों को कॉलेज तक की पढाई एवं छात्रावास की सुविधा निःशुल्क (महाविद्यालय द्वारा लिये जाने वाले समस्त शुल्क) उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है कि अनुपालना में प्रदेश की समस्त राजकीय महाविद्यालयों में निःशुल्क पढाई तथा छात्रावास की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें। साथ ही प्रवेशित पीडित परिवार के बच्चों की सूचना अविलम्ब अद्योहस्ताक्षरकर्ता को सूचित करें।

भवदीय,

19/3/2020

(डा. दीपक मेहरा)
संयुक्त निदेशक (अकादमिक)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

1. संयुक्त निदेशक (प्रशासन), आयुक्तालय को उनके यू.ओ. नोट कमांक 7297 दिनांक 13.03.2020 के कम में सूचनार्थ।
2. निजी सचिव, आयुक्त कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
3. वेबसाईट प्रभारी, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आयुक्तालय की वेब साईट पर अपलोड करें।

19/3/2020

(डा. दीपक मेहरा)
संयुक्त निदेशक (अकादमिक)